सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव, आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 35/2017

विशनसिंह पुत्र लल्लूराम जाति जाटव निवासी ग्राम मानौताखुर्द तह0 नगर – वादी

बनाम

1. रामकिशन | पिस0 मंगलराम पुत्र सल्लू जाति जाटव नि0 मानौताखुर्द तह0 नगर
2. अशोक |
3. नीमा पुत्री मंगलराम, जाति जाटव निवासी मानौताखुर्द तह0 नगर
4. सूखा पुत्र मु0 हरभेजी पत्नि रत्तीराम जाति जाटव निवासी ग्राम मनौताखुर्द तह0 नगर
5. शूक्लीराम पुत्र लल्लूराम
6. रामदयाल
7. तेजसिंह उर्फ तेजराम | पिस0 रामचन्द | जाति जाटव निवासी ग्राम मानौताखुर्द
8. मनोहरी | तह0 नगर (भरतपुर)
9. किशनप्यारी पत्नी हट्टी
10. रतन सिंह |
11. विजय सिंह | पिस0 हट्टी
12. जय सिंह |
13. सोहना पुत्री हट्टी
14. मोहना पुत्री हट्टी
15. तहसीलदार नगर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88–89, 188 आर0टी0ए0

उपस्थित –

1. श्री श्यामबाबू सेठी, अभिभाषक वादी
2. श्री ईस्राईल खॉ, अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 02.11.2017

वादी ने यह दावा इस आशय का संस्थित किया है कि विवादित आराजी ख0नं0 229/0.52, 218/0.51, 219/0.50, 220/0.19, 221/0.02, 222/0.21, 223/0.08, 212/0.46, 213/0.42, 214/0.55, 215/0.50, 216/0.33, 217/0.30, 225/0.08, 226/0.13, 228/0.74 किता0 16 रकबा 5.54 हैक्टे0 बाके ग्राम मानौताखुर्द तह0 नगर वादीगण व प्रतिवादीगण की

सामलात खातेदारी का रकबा है । पूर्व में विवादित आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जाकाश्त था जिनके फौत हो जाने के बाद वारिसान को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुआ तथा 44 ऐयर रकबा वादी द्वारा खरीद किया गया जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। विवादित आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी विभाजन मौके पर मनबट के अनुसार करीब 35 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा उसी अनुसार सभी काश्तकारान अपने–अपने अलग–अलग रकबे पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । मुताबिक मनबट वादी के हिस्से में खसरा नम्बर 215/0.50, 216/0.33, 226 मिन 0.11, 213/0.42 कुल रकबा 1.36 हैक्टे0 आया जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा ख0नं0 216/0.33 में वादी के द्वारा पातालतोड ट्यूबैल लगाया हुआ है जिसमें पक्का कमरा पुख्ता मकान, चारा स्टोर, चबूतरा आदि बनाया हुआ है । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में ख0नं0 212/0.23, 229/0.52, 228/0.07, 223/0.08, 226मिन0 0.02 कुल रकबा 0.92 हैक्टे0, प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से में खसरा नम्बर 228/0.25, प्रतिवादी 5 के हिस्से में 219/0.50, 220/0.19, 212/0.23, 221 मिन0 0.01 कुल रकबा 0.93 हैक्टे0 प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 के हिस्से में 228/0.18, 218/0.51 कुल रकबा 0.69 हैक्टे0 प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से में खसरा नम्बर 214/0.28, 217/0.15, 225/0.04 कुल रकबा 0.47 हैक्टे0 प्रतिवादी संख्या 8 के हिस्से में ख0नं0 217/0.15, 225/0.04, 221/0.01 कुल रकबा 0.20 हैक्टे0, प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से में 228/0.21 व प्रतिवादी किशनप्यारी बगै0 9 लगायत 14 को सामलात ख0 नं0 222/0.21, 214/0.27 कुल रकबा 0.48 हैक्टे0 मिला जिस पर बिना बाधा रूकावट के सभी काश्तकारान काबिज रहकर मनबट के आधार पर काश्त करते चले आ रहे हैं । सभी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी सहमति से दी गयी थी । कोई विवाद नही है । इसी मुताबिक वादी विभाजन की डिक्री करा पाने का अधिकारी है । अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादी मुताबिक मनबट डिक्री फरमाया जाकर पृथक–पृथक खाता व लगान कायम किया जावे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 7, 8 ने दिनांक 15.09.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3, 6, 9, 10, 12, 14 ने दिनांक 10.10.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो प्रमाणित किया जाकर सामिल पत्रावली किया गया । प्रतिवादी संख्या 5 ने दिनांक 02.11.2017 को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर

राजीनामा प्रस्तुत किया जो प्रमाणित किया जाकर सामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा इकवालिया जबाव दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी समवत् 2069–2072 किता 4 नक्शा अक्स, फोटो नकल बिजली बिल ट्यूबैल किता 12, बिजली कनैक्शन रसीद दिनांक 04.03. 2013, मांग पत्र बिजली विभाग दिनांक 12.12.2012, चालान राशि जमा बिजली विभाग दिनांक 07.10.2013, बिजली मोटर व अन्य उपकरण खरीद बिल दिनांक 07.10.2013 एवं बिजली बिल माह अगस्त 2012 दस्ताबेजात की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की हैं ।

हमने उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगणों की वहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सह खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं तथा विभाजन करा पाने के अधिकारी हैं । वादी एवं प्रतिवादीगण ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर मुताबिक मनबट विभाजन पूर्वजों के समय से किया जाना स्वीकार करते हुए अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करना स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा विवादित आराजी का नजरी नक्शा बनाकर पृथक–पृथक खाता व लगान कायम करने हेतु निवेदन किया है । चूँकि पक्षकारान के मध्य सहमति से विभाजन हो चुका है जिसके अनुसार दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है । ग्राम मानौताखुर्द तह0 नगर की आराजी खसरा नम्बर 213/0.42, 216/0.33, 215/0.50, 226/0.11 पर वादी विशनसिंह को , खसरा नं0 212/1/0.23, 223/0.08, 229/0.52, 228/3/0.07, 226/1/0.02 पर प्रतिवादी रामकिशन, अशोक, नीमा को बाहिस्सा बराबर , खसरा नं0 228/0.25 पर प्रतिवादी सूखा को खसरा नं0 219/0.50, 212/0.23, 220/0.19 पर प्रतिवादी शुकलीराम को, खसरा नं0 218/0.51, 228/2/0.19 पर प्रतिवादी रामदयाल को, खसरा नं. 217/0.15, 214/1/0.28, 225/0.04 पर प्रतिवादी तेजसिंह उर्फ तेजाराम को खसरा नं0 217/1/0.15, 225/1/0.04 पर प्रतिवादी मनोहरी को खसरा नं0 214/0.27, 222/0.21 पर प्रतिवादी किशनप्यारी, विजयसिंह, जयसिंह, सोहना, मोहना को बाहिस्सा बराबर, खसरा नं0 228/1/0.23 पर प्रतिवादी रतनसिंह को तथा खसरा नं0 221/0.02 पर प्रतिवादी शुकलीराम व मनोहरी को बाहिस्सा बराबर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, निम्न नजरी–नक्शा अनुसार तरमीम की जाकर पृथक–पृथक खाता व लगान कायम किया जावे।

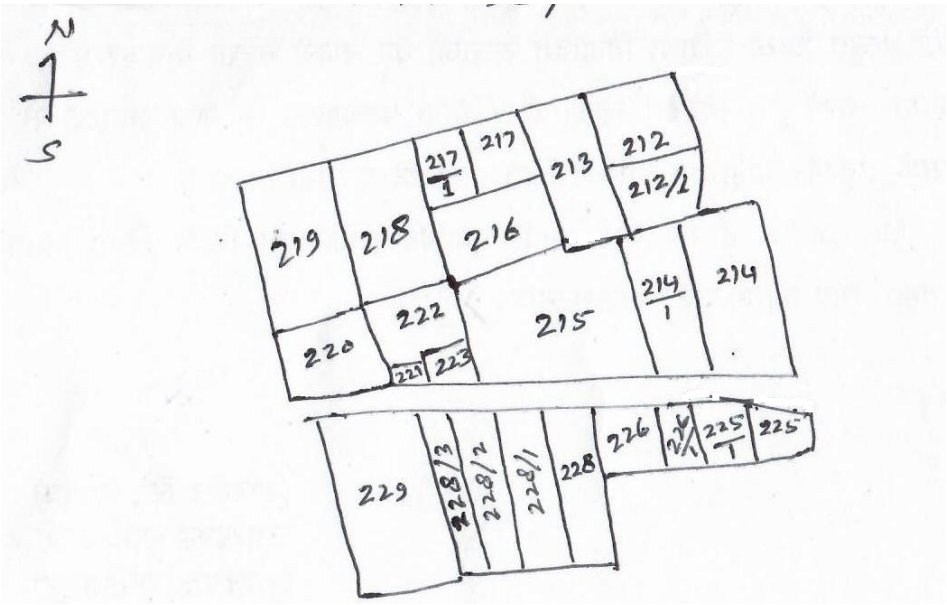

इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी किया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
(सहायक कलक्टर)
नगर (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 02.11.2017 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
(सहायक कलक्टर)
नगर (भरतपुर)